रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5008] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940
No. 5008] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018

(आयकर)

का.आ. 6247(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार के बीच 19 मार्च, 2018 को हांगकांग में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जैसाकि कि इस अधिसूचना के अनुबंध (जिसे इसके बाद करार कहा गया है) में दिया गया है;

और जबकि, उक्त करार 30 नवंबर, 2018 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) में व्यवस्था है कि इस करार के उपबंध, भारत में, किसी कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उपर्युक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार के बीच करार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार, एक करार करने की इच्छा से इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी पक्षकारों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

शामिल कर

1. यह करार किसी संविदाकारी पक्षकार अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय पर अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे हैं:

(क) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में,

(i) लाभ कर;

(ii) वेतन संबंधी कर; तथा

(iii) संपत्ति कर;

व्यक्तिगत मूल्यांकनों के अंतर्गत भारित है अथवा नहीं

(ख) भारत के मामले में: आयकर, उस पर लगे किसी अधिप्रभार सहित

4. यह समझौता मौजूदा करों के स्थान पर अथवा उनके अतिरिक्त तथा पैरा 1 तथा 2 के भीतर आने वाले अन्य उन करों के साथ-साथ इसी प्रकार के अथवा पर्याप्त रूप से इसी प्रकार के अन्य उन करों पर भी जो इस समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख के बाद लागू हुए अन्य उन करों जो भविष्य में कोई संविदाकारी पक्षकार लागू करता है, पर भी लागू होगा। संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

5. इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद लागू होने वाले करों के साथ-साथ मौजूदा करों को एतद्वारा "हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर" अथवा "भारतीय कर", जैसा भी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपेक्षित हो, के रूप में संदर्भित किया जाएगा तथापि, "हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर" अथवा "भारतीय कर", शब्दों में किसी संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अंतर्गत लगाए जाने वाले दण्ड अथवा ब्याज अथवा शास्ति शामिल नहीं होंगे, उन करों के संबंध में जिन पर यह समझौता लागू होता है।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) (i) "हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र" का अर्थ कोई भी वह स्थान है जहां पर चीन जनवादी गणतंत्र के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून लागू होते हों।

(ii) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून, पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

(ख) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है:

(i) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में, अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;

(घ) "संविदाकारी पक्षकार " अथवा "अन्य संविदाकरी पक्षकार" का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र अथवा भारत है, जैसा भी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपेक्षित हो;

(ड.) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के संबंध में शब्द "घरेलू कानून" का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के आंतरिक कानूनों से है;

(च) "एक संविदाकारी पक्षकार का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी पक्षकार का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(छ) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों से अभिप्रेत है - एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन से है सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी पक्षकार के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(ज) "राष्ट्रिक" शब्द का भारत के संबंध में अर्थ:

(i) भारत की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति; और

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्था, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत भारत में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(झ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, कोई ट्रस्ट, कोई भागीदारी तथा व्यक्तियों के अन्य निकाय शामिल हैं, जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षकारों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता है;

(ञ) 'कर' शब्द का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर अथवा भारतीय कर, जैसा भी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपेक्षित हो, है;

(ट) (i) भारत के मामले में शब्द 'वित्तीय वर्ष' का अर्थ किसी कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल की पहली तारीख को आरंभ होने वाले और आने वाले कैलेण्डर वर्ष में मार्च की इकतीस तारीख को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से है।

(ii) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में 'मूल्यांकन वर्ष' शब्द का अर्थ किसी वर्ष की अप्रैल की पहली तारीख से आरंभ होने वाले 12 माह की अवधि है।

2. किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा जहां तक किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस पक्षकार, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस पक्षकार में लागू किए जाने वाले कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस पक्षकार के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस समझौते के उद्देश्यार्थ 'किसी संविदाकारी पक्षकार का आवासी' शब्द का अर्थ:

(क) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में,

(i) कोई व्यक्ति जो सामान्य रूप से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में रहता है;

(ii) कोई व्यक्ति जो हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में किसी मूल्यांकन वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक अथवा मूल्यांकन के दो लगातार वर्षों, जिनमें से एक मूल्यांकन का संगत वर्ष है, में 300 दिनों से अधिक, की अवधि के लिए रहता है;

(iii) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में निगमित कोई कंपनी अथवा, यदि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर निगमित हो, जिसका सामान्य रूप से प्रबंधन अथवा नियंत्रण हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में हों;

(iv) अन्य कोई व्यक्ति जो हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानूनों के अंतर्गत अथवा यदि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर के कानूनों, जिनका हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रबंधन अथवा नियंत्रण होता हो, के अंतर्गत गठन हुआ हो;

(ख) भारत के मामले में, कोई ऐसा व्यक्ति से है जो भारत के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा इसी स्वरूप के किसी ऐसे ही मानदंड की वजह से कराधेय हो। तथापि, इस शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल भारत में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर भारत में कर लगाया जा सकता है;

(ग) प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के मामले में, उस पक्षकार की सरकार अथवा, अन्य राजनीतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारी के मामले में।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण यदि कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी पक्षकारों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे केवल उसी पक्षकार का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों ही पक्षकारों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह केवल उस पक्षकार का एक निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस पक्षकार का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो उसे केवल उस पक्षकार का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका पारंपरिक निवास हो;

(ग) यदि दोनों पक्षकारों में उसका कोई आदतन निवास स्थान है अथवा उनमें से किसी में भी नहीं है, तो उसे केवल उस पक्षकार का ही निवासी होना माना जाएगा जिसमें उसे निवास का अधिकार है (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में) अथवा जिसका वह राष्ट्रिक है (भारत के मामले में);

(घ) यदि उसे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में निवास का अधिकार है और वह भारत का राष्ट्रिक भी है, अथवा यदि उसे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में निवास का अधिकार नहीं है और न ही वह भारत का राष्ट्रिक है, तो संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी सहमति की अनुपस्थिति में, वह करार द्वारा प्रदत्त किसी छूट अथवा रियायत का पात्र नहीं होगा सिवाए उस सीमा तक और ऐसी पद्धति में जिस पर संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमति बनती है।

3. जहां पैराग्राफ-1 के उपबंधों के कारण से वैयक्तिक के अलावा कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी पक्षकारों का निवासी है, तो संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से उस संविदाकारी पक्षकार को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे जिसका ऐसा व्यक्ति इसके प्रभावी प्रबंधन के स्थान, वह स्थान जहां इसे निगमित किया गया है अथवा अन्यथा गठित किया गया है तथा अन्य दूसरे संगत कारकों का ध्यान रखते हुए, इस करार के प्रयोजनार्थ एक निवासी माना जाएगा। ऐसी सहमति की अनुपस्थिति में, वह करार द्वारा प्रदत्त किसी छूट अथवा रियायत का पात्र नहीं होगा सिवाए उस सीमा तक और ऐसी पद्धति में जिस पर संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमति बनती है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ड.) कोई कार्यशाला;

(च) कोई बिक्री केन्द्र;

(छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भण्डार, जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो;

(ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों; और

(झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान।

3. "स्थायी संस्थापन" शब्द में ये भी सम्मिलित हैं:

(क) कोई भवन-स्थल, निर्माण, संयोजन अथवा अधिष्ठापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, लेकिन केवल तभी यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप छः महीने से अधिक समय तक चले;

(ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु वहीं जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी भी बारह महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए संविदाकारी पक्षकार के भीतर जारी रहते हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु) ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा:

(क) उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;

(ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचनाएं एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;

(ड.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(च) उपपैराग्राफ (क) से (ड.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी पक्षकार में कार्य करता है, वहां उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी पक्षकार में उस उद्यम के स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को:

(क) उस उद्यम के नाम से प्रथमोल्लिखित पक्षकार में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह पारंपरिक रूप से उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, को उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी पारंपरिक रूप से प्रथमोल्लिखित पक्षकार में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो; या

(ग) ऐसा प्राधिकार न रखता हो, किंतु उद्यम या इसके सहयोगी उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथमोल्लिखित संविदाकारी पक्षकार में पारंपरिक रूप से कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो।

6. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी पक्षकार में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस पक्षकार में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

7. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी पक्षकार की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार की निवासी है अथवा जो उस दूसरे पक्षकार में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी पक्षकार जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है, के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, पत्थर की खदानें स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार; जलयान, नाव और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ-2 में संदर्भित किसी संपत्ति अथवा अधिकार को वहां स्थित होना माना जाएगा जहां भूमि, स्थायी वन, खनिज संपदा, खदान, स्रोत अथवा प्राकृतिक संसाधन, जैसा भी मामला हो, स्थित हैं अथवा जहां कार्य किया जा सकता है।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्‌भूत होने वाली आय पर लागू होंगे।

5. पैराग्राफ 1 और 4 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी पक्षकार में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस पक्षकार में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे पक्षकार में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी पक्षकार का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी पक्षकार में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए, माने जाएंगे जिनके होने की अपेक्षा रहती, जब वह एक समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और वह उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उस पक्षकार के कानूनों के उपबंधों के अध्यधीन उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार लगाए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों और उनकी परिसीमाओं के अनुसार किए गए हों, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों।

4. जहां तक किसी उपक्रम के कुल लाभ को इसके विभिन्न भागों को संविभाजन के आधार पर स्थायी संस्थापन को आरोपित होने वाले लाभों को निर्धारित करना, अथवा उस पक्षकार के कानूनों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी दूसरी पद्धति के आधार पर निर्धारित करना, संविदाकारी पक्षकारों में एक प्रथा रही है, पैराग्राफ-2 में कुछ भी उस संविदाकारी पक्षकार को ऐसे संविभाजन द्वारा अथवा अन्य पद्धति से कर लगाए जाने वाले लाभों का निर्धारण करने से नहीं रोक सकता; तथापि, अपनाई गई पद्धति ऐसी होगी कि इसके परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धान्तों के अनुरूप होंगें।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी पक्षकार में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ-1 के उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से दूसरे संविदाकारी पक्षकार में प्राप्त किए गए एक संविदाकारी पक्षकार के उपक्रम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार में भी कर लगाया जा सकता है, परन्तु उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार में लगाया गया कर उसके 50 प्रतिशत के बराबर राशि तक कम किया जाएगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में समुद्री जहाजों अथवा वायुयान के संचालन से लाभ में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में व्यक्तियों, पशुधन, वस्तुओं, डाक अथवा माल के परिवहन के लिए जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से, जिसमें टिकटों की बिक्री से प्राप्त की गई आय तथा ऐसे परिवहन से जुड़ी सेवाओं के प्रावधान शामिल हैं चाहे स्वयं उपक्रम के लिए अथवा किसी दूसरे उपक्रम के लिए, राजस्व एवं सकल प्राप्तियां बशर्ते सेवाओं के प्रावधान के मामले में, ऐसा प्रावधान अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयान के संचालन के लिए प्रासंगिक है;

(ख) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्रत्यक्षत: जुड़ी निधियों पर ब्याज;

(ग) एक उपक्रम द्वारा कंटेनरों के लीज से लाभ जब ऐसी लीज अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन के लिए प्रासंगिक है।

अनुच्छेद 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी पक्षकार का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) ये ही व्यक्ति, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी पक्षकार उस पक्षकार के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित पक्षकार के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा पक्षकार उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी पक्षकार की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे पक्षकार में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी पक्षकार में भी और उस पक्षकार के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी पक्षकार का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर लाभांशों की सकल राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण के दावे न हों, और अन्य कोर्पोरेट अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस पक्षकार के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी पक्षकार का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी पक्षकार में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे पक्षकार में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के

स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी पक्षकार की निवासी है, दूसरे संविदाकारी पक्षकार से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा पक्षकार कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे पक्षकार के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे पक्षकार में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे पक्षकार में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

6. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि इन शेयरों या अन्य अधिकारों के सृजन अथवा आबंटन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उस सृजन अथवा आबंटन से इन अनुच्छेदों का लाभ लेना है जिनके बारे में लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. किसी संविदाकारी पक्षकार में उत्पन्न और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज उस दूसरे पक्षकार में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी पक्षकार में भी और उस पक्षकार के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस पक्षकार में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी पक्षकार का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत ब्याज पर उस पक्षकार में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते उसे निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा गया हो:

(क) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ख) (i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक;

(ii) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में, हांगकांग धन संबंधी प्राधिकरण तथा विनिमय निधि; अथवा

(ग) कोई अन्य संस्थान जिस पर संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से, प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। विलंब से की गई अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को उस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी जो संविदाकारी पक्षकार का निवासी है, दूसरे संविदाकारी पक्षकार में जिसमें ब्याज प्रोदभूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे पक्षकार में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस पक्षकार का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी पक्षकार का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी पक्षकार में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस पक्षकार में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहेगा।

8. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि ऋण दावों के सृजन अथवा आबंटन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उस सृजन अथवा आबंटन से इन अनुच्छेदों का लाभ लेना है जिनके बारे में ब्याज का भुगतान किया जाता है।

अनुच्छेद 12

रायल्टियां

1. किसी संविदाकारी पक्षकार में उत्पन्न और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा की गयी रॉयल्टियां उस दूसरे पक्षकार में कराधेय होंगी।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टी पर उस संविदाकारी पक्षकार में भी और उस पक्षकार के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस पक्षकार में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि रायल्टी का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी पक्षकार का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, रायल्टी की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचनाओं के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।

4. पैराग्राफ 1, और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रॉयल्टियों का हितभागी स्वामी जो संविदाकारी पक्षकार का निवासी है, दूसरे संविदाकारी पक्षकार में जिसमें रॉयल्टियां प्रोदभूत हुई हों, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे पक्षकार में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार या संपत्ति के बारे में रॉयल्टियां अदा की गयी हों वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. रॉयल्टियां किसी संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, यदि ब्याज अदा करने वाला उस पक्षकार का निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी पक्षकार का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी पक्षकार में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में दायित्व जिस पर रायल्टी प्रदत्त की गई थी, इस प्रकार की रायल्टी इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है, तो इस प्रकार की रायल्टी उस पक्षकार में उद्भूत हुई मानी जाएगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई रॉयल्टी की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहेगा।

7. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि इन रॉयल्टियों या अन्य अधिकारों के सृजन अथवा आबंटन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उस सृजन अथवा आबंटन से इन अनुच्छेदों का लाभ लेना है जिनके बारे में रॉयल्टियों का भुगतान किया जाता है।

अनुच्छेद-13

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. किसी संविदाकारी पक्षकार में उत्पन्न और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा की गयी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस दूसरे पक्षकार में कराधेय होगी।

2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी पक्षकार में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस पक्षकार के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी पक्षकार का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अर्थ प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदायी सेवाओं हेतु प्रतिफल के रूप में किसी किस्म के भुगतान से है जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से शामिल है, परन्तु इसमें इस करार के क्रमश:अनुच्छेद 15 तथा 16 में यथा उल्लिखित स्वावलम्बी वैयक्तिक सेवाओं तथा परावलम्बी वैयक्तिक सेवाओं के लिए भुगतान शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी पक्षकार का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी पक्षकार में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे पक्षकार में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, यदि अदा करने वाला उस पक्षकार का निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी पक्षकार का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी पक्षकार में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस पक्षकार में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए फीस प्रयोग, अधिकार या सूचनाएं जिसके संबंध में जिस के लिए वह अदा की जाती है, किसी भी कारण से उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे

मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगता रहेगा।

7. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि सेवाओं के निष्पादन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उन सेवाओं के निष्पादन से इस अनुच्छेद का लाभ लेना है जिसके बारे में तकनीकी फीस अदा की जाती है।

अनुच्छेद-14

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा, जिसका वह बिक्रेता निवासी है।

4. दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित अचल संपत्ति से प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: इसकी परिसंपति मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने वाली कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण से एक संविदाकारी पक्षकार के निवासी द्वारा प्राप्त किए गए अभिलाभों पर उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार में कर लगाया जा सकता है।

5. किसी कंपनी, जो संविदाकारी पक्षकार की निवासी है, पर पैराग्राफ 4 में उल्लिखित के अलावा शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस पक्षकार में कर लगाया जा सकता है।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 एवं 5 में उल्लिखित उस संपत्ति के अलावा किसी संपत्ति के हस्तांतरण से अभिलाभों पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार में उसके घरेलू कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है।

7. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उन पूंजीगत लाभों से इस अनुच्छेद का लाभ लेना है जिनके बारे में हस्तांतरण किया जाता है।

अनुच्छेद-15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितयों को छोड़कर जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार में भी कर लगाया जा सकेगा:

(क) यदि उसका अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी पक्षकार में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे पक्षकार में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी पक्षकार में उसके निवास का समय कर निर्धारण वर्ष में शुरू होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह माह की अवधि (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में) अथवा

संबंधित राजकोषीय वर्ष (भारत के मामले में) जो कुल 183 दिन की अवधि अथवा अवधियों अथवा इससे अधिक के लिए है; तो उस स्थिति में, केवल उतनी ही आय पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकता है जिसे उस दूसरे पक्षकार में निष्पादित उसके कार्यकलापों से अर्जित किया गया है।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, शल्य-चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

निर्भर वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी पक्षकार में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी पक्षकार में नहीं किया गया हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी पक्षकार में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे पक्षकार में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित पक्षकार में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि:

(क) प्राप्तकर्ता कर निर्धारण वर्ष में शुरू होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह माह की अवधि (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में) अथवा संबंधित राजकोषीय वर्ष में (भारत के मामले में) कुल 183 दिन से कम की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे पक्षकार में मौजूद है, तथा

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे पक्षकार का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे पक्षकार में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, केवल उस पक्षकार में कराधेय होगा।

अनुच्छेद-17

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-18

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी पक्षकार में किए गए इस प्रकार के वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी संविदाकारी पक्षकार में निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि दूसरे संविदाकारी पक्षकार में किए गए कार्य-कलाप एक या दोनों संविदाकारी पक्षकारों या उसके राजनैतिक उपप्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की सार्वजनिक निधियों द्वारा समर्थित हों। ऐसे मामले में, उस आय पर केवल उसी संविदाकारी पक्षकार में कर लगेगा जिसका वह मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद 19

पेंशन

1. अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन, किसी संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा की गई पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक (एकमुश्त भुगतान सहित), चाहे उस पेंशन या पारिश्रमिक का भुगतान पिछले रोजगार के लिए किया गया हो, केवल उस पक्षकार में कर योग्य होगा।

2. पैरा 1 के प्रावधानों के बावजूद, पेंशन या सेवानिवृत्ति योजना के तहत, जो एक ऐसी योजना है जिसमें व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ को सुरक्षित करने के लिए भागीदार बन सकते हैं और जिसे किसी संविदाकारी पक्षकार में कर उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक (एकमुश्त भुगतान सहित) केवल उस संविदाकारी पक्षकार में कर योग्य होंगे।

अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी पक्षकार की सरकार अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस पक्षकार अथवा राजनैतिक उप- प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी पक्षकार में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी पक्षकार में तभी कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस पक्षकार में की जाती हैं और व्यष्टि उस पक्षकार का एक निवासी हो, जो:

(i) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में, उसमें निवास का अधिकारी है और भारत के मामले में, भारत का राष्ट्रिक है; या

(ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. किसी संविदाकारी पक्षकार की सरकार अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस पक्षकार अथवा राजनैतिक उप- प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई, अथवा सृजित अथवा संवितरित निधि में से अदा की गई पेंशन (एकमुश्त भुगतान सहित) पर केवल उसी पक्षकार में ही कर लग सकेगा।

3. अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19 के उपबंध, किसी संविदाकारी पक्षकार अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन (एकमुश्त भुगतान सहित) पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी

वे भुगतान, जिन्हें कोई विद्यार्थी जो किसी संविदाकारी पक्षकार का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी पक्षकार का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित पक्षकार में उपस्थित है, अपने भरण-पोषण अथवा शिक्षा के प्रयोजनार्थ प्राप्त करता है, उसे उस पक्षकार में कर से छूट होगी, बशर्ते ऐसी अदायगियां उस पक्षकार के बाहर के स्रोत से प्राप्त होती हों।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस पक्षकार में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी पक्षकार का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी पक्षकार में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे पक्षकार में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे पक्षकार में भी कर लगेगा।

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान के निरसन की विधि

दोहरे कराधान को इस प्रकार से समाप्त किया जाएगा:

1. भारत में:

(क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है, भारत वहां उस निवासी की आय पर कर से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अदा किए गए कर के बराबर राशि की छूट की अनुमति देगा।

तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय को हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है।

(ख) जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, भारत वहां फिर भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट-प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

2. हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में:

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्राधिकार में भुगतान किए गए हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर के प्रति क्रेडिट की स्वीकृति से सम्बंधित हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानूनों के उपबंधों के शर्ताधीन(जो इस अनुच्छेद के सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा), भारत के कानूनों और इस करार के अनुसार अदा किया गया भारतीय कर, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या कटौती के द्वारा, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के किसी निवासी व्यक्ति

द्वारा भारत के स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में, उस आय के सम्बंध में देय हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर के हिसाब से क्रेडिट के रूप में अनुमत होगा, बशर्ते इस तरह का स्वीकृत क्रेडिट हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कर कानूनों के अनुसार उस आय के संबंध में संगणित हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर की राशि से अधिक न हो।

अनुच्छेद 24

गैर-भेदभाव

1. हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में, जिन लोगों को निवास का अधिकार है या वे निगमित हैं या अन्यथा इसमें गठित हैं, और, भारत के मामले में, राष्ट्रिक हैं, अन्य संविदाकारी पक्षकार में किसी कराधान या इससे जुड़ी किसी भी आवश्यकता के लिए शर्ताधीन नहीं होंगे, जो कराधान और इससे जुड़ी उन जरूरतों के मुकाबले अन्य या अधिक बोझिल हैं, जो सदृश परिस्थितियों में, विशेषकर निवास के सम्बंध में, उस दूसरे पक्षकार में निवास के अधिकारी हैं या जो निगमित हैं या जिन्हें अन्यथा गठित किया गया है (जहां वह अन्य पक्षकार हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है) या उस अन्य पक्षकार के राष्ट्रिक (जहां वह दूसरा पक्षकार भारत है) हैं, के शर्ताधीन हैं या हो सकते हैं। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी पक्षकारों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे पक्षकार में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे पक्षकार के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी पक्षकार के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी पक्षकार के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये प्रावधान किसी संविदाकारी पक्षकार को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के स्थाई संस्थापन के लाभों पर कर की उस दर को लगाने से रोकते हैं, जो प्रथमोल्लिखित पक्षकार की समान कम्पनी के लाभों पर लगाई गई उन करों की दर से अधिक हों और न ही इसका अर्थ अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल होना समझा जाएगा।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 या अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 3 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा किये गए ब्याज, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती-योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित पक्षकार के किसी निवासी को किया गया हो।

4. एक संविदाकारी पक्षकार के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी पक्षकार के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित पक्षकार में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित पक्षकार के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार की विधि

1. जहां कोई व्यक्ति मानता है कि एक या दोनों संविदाकारी पक्षकारों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसके लिए कराधान सम्बंधी नतीज़े इस करार के उपबंधों के अनुसार नहीं हैं या नहीं होंगे, वह, उन पक्षकारों के घरेलू कानूनों द्वारा प्रदत्त उपायों के बावजूद, अपने मामले को उस संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है या यदि उसका मामला उस संविदाकारी पक्षकार के अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है जिसमें उसे निवास का अधिकार है या वह निगमित है या अन्यथा गठित है (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में) या जिसका वह

एक राष्ट्रिक है (भारत के मामले में)। इस मामले को उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी करार को संविदाकारी पक्षकारों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।

3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाई अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे दोहरे कराधान को दूर करने के लिए, उन मामलों में, जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गयी है, एक दूसरे से भी परामर्श कर सकते हैं।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई करार करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं जिसमें खुद उनके द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधियों से बनी संयुक्त समिति शामिल है।

अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी पक्षकारों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में संविदाकारी पक्षकारों के घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी पक्षकार द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस पक्षकार के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों पक्षकारों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी पक्षकार पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी पक्षकार अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचनाएं एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे पक्षकार को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचनाओं की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी

सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी पक्षकार केवल इसलिए सूचनाओं की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचनाओं में उस पक्षकार का कोई कर हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचनाओं की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी पक्षकार को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचनाएं किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

अनुच्छेद 27

सरकारी मिशनों के सदस्य

इस करार की किसी बात से अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत सरकारी मिशन अथवा कौंसुली पदों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 28

विविध नियमावलियां

1. इस करार के उपबंध किसी भी स्थिति में एक संविदाकारी पक्षकार को कर परिहार अथवा अपवंचन के संबंध में अपने स्वदेशी कानून एवं उपायों के उपबंधों को लागू करने से नहीं रोकेंगे, चाहे इस तरह वर्णित हो अथवा नहीं।

2. किसी संविदाकारी पक्षकार को करार के तहत लाभ देने की आवश्यकता नहीं है अगर संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से कोई एक कर अपवंचन अथवा परिहार के माध्यम से गैर-कराधान अथवा कम किए गए कराधान से सम्बंधित है (तीसरे क्षेत्राधिकारों के निवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ हेतु करार में प्रदत्त छूटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी की व्यवस्था के माध्यम सहित)।

3. विधिक हस्तियों के मामलों को भी, जिनके प्रामाणिक कारोबारी कार्यकलाप नहीं हैं, इस अनुच्छेद के उपबंधों में शामिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 29

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्षकार इस करार को लागू करने के लिए अपने कानून के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं की पूर्ति के बारे में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा।

3. इस करार के उपबंधों का उसके बाद निम्नानुसार प्रभाव होगा:

(क) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में:

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर के संबंध में, जिस तारीख को करार लागू होता है, उसके बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए;

(ख) भारत में:

जिस वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में।

अनुच्छेद 30

समापन

यह करार अनिश्चत काल तक लागू रहेगा जब तक कोई एक संविदाकारी पक्षकार इसे समाप्त नहीं कर देता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले दूसरे संविदाकारी पक्षकार को समापन की लिखित नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा:

(क) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में:

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर के संबंध में, जिस तारीख को नोटिस दिया गया है, उसके बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए;

(ख) भारत में:

जिस वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

हांगकांग में मार्च, 2018 की 19 वीं तारीख को चायनीज, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की	चीन जनवादी गणराज्य के
सरकार के लिए	विशेष प्रशासनिक क्षेत्र
	हांगकांग की सरकार के लिए
हस्ताक्षरित/-	हस्ताक्षरित/-
(गौतम बम्बावले)	(पॉल चान मो-पो)
भारत के राजदूत, बीजिंग	वित्त सचिव, हांगकांग

प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार ("करार") पर हस्ताक्षर करने के समय दोनों सरकारें निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुई हैं, जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे:

1. करार के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाता है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के संबंध में, "सामान्य रूप से निवास करता है" और "सामान्य रूप से प्रबंधित या नियंत्रित" पदों का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून के अधीन सामान्य सिद्धांत को प्रभावित किए बिना समय-समय पर यथा संशोधित अर्थ से है।

उपर्युक्त के अलावा, करार के अनुच्छेद 4 (निवासी) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (क) के खंड (i) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि एक व्यक्ति सामान्यत: हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में रहता है यदि उस व्यक्ति की हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में पर्याप्त उपस्थिति है, उसका स्थायी घर या अभ्यस्त निवास है, और उसके हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के साथ व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, करार के अनुच्छेद 4 (निवासी) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ़ (क) के खंड (iii) और (iv) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि निगमित कोई भी कम्पनी या हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बाहर गठित अन्य कोई व्यक्ति सामान्यतः हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में प्रबंधित या नियंत्रित किया जाता है, यदि उसके कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी कंपनी या व्यक्ति के लिए सामरिक, वित्तीय और परिचालन नीतियों के सम्बंध में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, और कंपनी या व्यक्ति के कर्मचारी वे निर्णय लेने के लिए आवश्यक दैनिक गतिविधियों को हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में संचालित करते हैं।

2. करार के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाता है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के सम्बंध में, "आवास का अधिकार" पद का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून के अधीन हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून के अधीन सामान्य सिद्धांत को प्रभावित किए बिना समय-समय पर यथा संशोधित अर्थ से है।

3. करार के अनुच्छेद 2 (शामिल कर) के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के सम्बंध में "जुर्माना या ब्याज" पद के अर्थ में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर में डिफ़ॉल्ट के कारण जोड़ी गई और वसूली गई कोई भी राशि तथा अंतर्देशीय राजस्व अध्यादेश (हांगकांग के कानूनों का अध्याय 112) की धारा 82 क के तहत "अतिरिक्त कर" शामिल हैं।

4. करार के अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएं) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (क) के खंड (i) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि "कोई भी स्थान जहां पर चीन जनवादी गणराज्य के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कर कानून लागू होते हैं" पद का अर्थ चीन जनवादी गणराज्य के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, शेन्ज़ेन बे पोर्ट हांगकांग पोर्ट एरिया के साथ, की सीमा में शामिल भूमि और समुद्र को संदर्भित करता है।

5. करार के अनुच्छेद 26 (सूचनाओं का आदान-प्रदान) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि:

(क) आदान-प्रदान की गई सूचनाएं किसी भी तीसरे क्षेत्राधिकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(ख) भारतीय सक्षम प्राधिकारी इनको सूचना प्रकट कर सकते हैं:

(i) संसदीय समितियों को

(ii) सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को; और

(iii) किसी भी अन्य निरीक्षक निकायों को जिन पर पारस्परिक रूप से लिखित में सहमति हुई हो।

(ग) अनुरोधित संविदाकारी पक्षकार कोई भी वह जानकारी प्रकट करेगा जो उस तिथि से पूर्व की हो जिस तिथि को करार द्वारा शामिल करों पर करार प्रभावी होगा, जहां तक जानकारी उस तिथि के बाद किसी वित्तीय वर्ष या कर योग्य घटना के लिए निकट भविष्य में प्रासंगिक है।

(घ) करार द्वारा शामिल करों के अतिरिक्त, इस अनुच्छेद के उपबंध निम्नलिखित करों पर भी लागू होंगे जिन्हें भारत में प्रशासित और लागू किया जाता है:

(i) धनकर;

(ii) उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क;

(iii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी); और

(iv) बिक्री एवं मूल्य संवर्धित कर।

6. यह समझा जाता है कि संविदाकारी पक्षकार दोनों में से किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर समझौते के उपबंधों की समीक्षा कर सकते हैं।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

हांगकांग में मार्च, 2018 की 19 वीं तारीख को चायनीज, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के
की सरकार के लिए	विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग
	की सरकार के लिए
हस्ताक्षरित/-	हस्ताक्षरित/-
(गौतम बम्बावले)	(पॉल चान मो-पो)
भारत के राजदूत, बीजिंग	वित्त सचिव, हांगकांग

[अधिसूचना सं. 89/2018/फा.सं. 500/124/97-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव